उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-53/2017/एस-2-3191/दस-2017-33(24)/2017

लखनऊ :: दिनॉक:: 07 दिसम्बर,2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-दो, वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को ज्येष्ठ वेतनमान, श्रेणी-एक, वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 7600/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करने एवं उनके वर्तमान पदों पर पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 7600/- में अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2
1	श्री विवेक चौधरी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ।
2	श्री सत्यानन्द श्रीवास्तव, उप निबन्धक, फर्म सोसाइटी एवं चिट्स, कानपुर

2- यह पदोन्नतियाँ, शासन के आदेश संख्या-एस-2-2423/दस-2012-87(1)276टी0सी0-।।, दिनॉक 29-8-2012 द्वारा यथा-विस्तारित उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग की ज्येष्ठता सूची, 2012 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-1646(एस0बी0)/2012 अरविन्द कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3- उक्त नवपदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

संजीव मित्तल

प्रमुख सचिव।

2---------

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-53/2017/एस-2-3191(1)/दस-2017, तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, मेरठ/कानपुर।
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
5- रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटी एवं चिट्स, लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ/कानपुर ।
8- संबंधित अधिकारीगण।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।